परिशिष्ट - "अ"

राज्य शिक्षा केन्द्र की समग्र शिक्षा अभियान मिशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी

क्र.	राज्य शिक्षा केन्द्र मुख्यालय/अधीनस्थ क्षेत्रीय संस्था/कार्यालय	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचार का नाम	मूल पद	मूल विभाग	प्रतिनियुक्ति पर पद	कब से पदस्थ है	रिमार्क
1	राज्य शिक्षा केन्द्र की इकाई समग्र शिक्षा अभियान मिशन	श्री पी.के.सिहं	अपर संचालक,लोक शिक्षण	स्कूल शिक्षा	अपर संचालक	03.06.2017 से निरंतर	
2		श्री ओ.एल.मण्डलोई	अपर संचालक,लोक शिक्षण	स्कूल शिक्षा	अपर संचालक	02.06.2017 से निरंतर	
3		श्री पंकज मोहन	अपर संचालक	वित्त विभाग	संयुक्त संचालक वर्तमान में अपर संचालक	24.05.2016 से दिनांक 5.2.2019 तक एवं 6.2.2019 से अपर संचालक के पद पर निरंतर	वित्त विभाग द्वारा पदस्थापना की जाती है।
4		श्री एस.ए.एच.रिजवी	उपसंचालक	स्कूल शिक्षा	उप प्रबंधक	04.03.2015 से निरंतर	
5		श्री आर.के. पाण्डेय	प्राचार्य,उ.मा.वि.	स्कूल शिक्षा	सहा. प्रबंधक	06.04.2016 से निरंतर	
6		सुश्री मिताली सरियाम	लेखाधिकारी	वित्त विभाग	सहा. प्रबंधक(वित्त)	02.11.2019 से निरंतर	वित्त विभाग द्वारा पदस्थापना की जाती है।
7		श्रीमती अश्विनी रणपिसे	लेखाधिकारी	वित्त विभाग	सहा. प्रबंधक(वित्त)	26.09.2020 से निरंतर	वित्त विभाग द्वारा पदस्थापना की जाती है।
8		श्री दीपक वर्मा	प्राचार्य,हाईस्कूल	स्कूल शिक्षा	प्रोग्रामर कम ट्रेनिंग आफिसर	31.10.1994 से निरंतर	
9		श्री शेखर सराठे	एच.एम.माध्यमिक शाला	स्कूल शिक्षा	प्रोग्रामर कम ट्रेनिंग आफिसर	31.10.1994 से निरंतर	
10		श्री महेश मूलचंदानी	प्राचार्य,हाईस्कूल	स्कूल शिक्षा	प्रोग्रामर कम ट्रेनिंग आफिसर	31.10.1994 से निरंतर	
11		श्री देवेन्द्र सिसोदिया	प्राचार्य,हाईस्कूल	स्कूल शिक्षा	प्रोग्रामर कम ट्रेनिंग आफिसर	31.10.1994 से निरंतर	
12		श्रीमती विजयश्री मिश्रा (शर्मा)	कनिष्ठ लेखाधिकारी	वित्त विभाग	सहायक लेखाधिकारी	17.07.2017 से निरंतर	वित्त विभाग द्वारा पदस्थापना की जाती है।
13		श्री ताहिर अली	वाहन चालक	स्काउड गाईड	वाहनचालक	24.01.2014 से निरंतर	

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

[प्र. सं. क्र. 4348]

[24/3/2021]

परिशिष्ट-ब

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक सी-3-18/94/3/1 — भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र., भोपाल,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषयः—चार वर्ष से अधिक अवधि के प्रतिनियुक्ति के मामलों पर निर्णय लिये जाने बाबत्।

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ. ए-10-18/88/49/1, दिनांक 2-12-88.

सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त परिपत्र में यह प्रावधान है कि बाह्य सेवा अथवा असंवर्गीय पदों पर 4 वर्ष से अधिक अवधि के प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में, प्रशासकीय विभागों द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से समन्वय में आदेश प्राप्त किए जाएं।

2. उक्त संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि 4 वर्ष से अधिक के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने संबंधी प्रकरणों को समन्वय में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस विभाग में अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा जिस विभाग से सेवाएं ली गयीं हैं उन दोनों विभागों की सहमति होने पर विभाग स्तर पर ही निर्णय ले लिया जाए।

3. अतः कृपया अब ऐसे मामले समन्वय में भेजे न जाकर इनका निराकरण उक्तानुसार सुनिश्चित किया जावे।

हस्ता./-
(एस. सी. पण्ड्या)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी-3-18/94/3/1 — भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 1994

प्रतिलिपिः—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र., इन्दौर,
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र., भोपाल।

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र., राजभवन, भोपाल,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र., भोपाल।

ई-मेल

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/798 भोपाल, दिनांक 09.06.17

प्रति,

(1) समस्त कलेक्टर्स मध्यप्रदेश।
(2) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
(3) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।

विषय-- प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी हेतु जारी शासन आदेश दिनांक 30.5.2017 के संबध में।

संदर्भ-- मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-13/2017/20-1, दि. 30.05.2017

:: 00 ::

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश क्रमांक एफ 1-13/2017/20-1, दिनांक 30.05.2017 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी (शिक्षकीय/गैर शिक्षकीय) जो स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन निगम/मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है, को छोडकर ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है तथा उनकी प्रतिनियुक्ति अविध समाप्त हो गई हो तो उनकी प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई सेवायें तत्काल प्रभाव से वापस किये जाने के आदेश जारी किये गये है।

2/. उक्त आदेश के अनुक्रम में स्पष्ट किया जाता है कि, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यालय तथा उसके अनुशांगिक कार्यालयों यथा म0प्र0 पाठ्यपुस्तक निगम/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/राज्य ओपन स्कूल आदि कार्यालयों में पदस्थ ऐसे शिक्षक संवर्ग के कार्यरत कर्मचारियों को भारमुक्त न किया जाये अपितु स्कूल शिक्षा विभाग को छोडकर शेष विभागों मे कार्यरत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त की गई को जिस कार्यालय से वे प्रस्थित हुए थे, उस मूल संस्था/कार्यालय में अपनी उपस्थिति दिनांक 31.5.2017 तक दिये जाने के निर्देश थे। ऐसे कर्मचारियों का वेतन मूल संस्था/कार्यालय में उपस्थित होने पर ही आहरित किया जायेगा।

(नीरज दुबे)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्रमांक/स्था.1/राज/जी/194/प्रति.नि./2017/799 भोपाल, दिनांक 09.06.1

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक मान0मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
2. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, वल्लभ भवन भोपाल।
3. सचिव, म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन भोपाल।
4. महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
5. परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लोक शिक्षण म.प्र.।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, म.प्र.पाठ्य पुस्तक निगम, पुस्तक भवन भोपाल।
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।
11. संचालक, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल भोपाल।
12. उप संचालक (स्थापना-2, 3 एवं 4/लेखा एवं शिक्षाकर्मी) स्थानीय।
13. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान म.प्र. भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश